वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (1.825किमी.) (0.495है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 827 / III(2) / 06–76(प्रा.आ.) / 2005 टी.सी. दिनांक 28.03.2006 के द्वारा 3.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 53.40 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त ग्रामसभाओं को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा तथा जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय स्याल्दे के साथ–साथ रेल हैड रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु स्याल्दे आने–जाने की सुविधा प्राप्त होगी। प्राकृतिक आपदा आने पर ग्रामों में तुरन्त सहायता पहुॅचायी जा सकेगी।

अतः उपयुक्त मार्ग हेतु वन पंचायत भूमि 0.477है0 बेनाप राज्य वन भूमि 0.018है0 इस प्रकार कुल 0.495है0 वन भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार 0.495है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत